

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरजगढ़ से बाद जांच रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार सूरजगढ़ की जांच रिपोर्ट के मुताबिक राजस्व ग्राम छापड़ा के भूमि ख.नं. 372, 498/373 में प्रार्थी रामेश्वर पुत्र पोकरराम का नाम राजस्व रिकार्ड में पेमला पुत्र पोकरराम के नाम दर्ज है जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान दस्तावेजात में रामेश्वर पुत्र पोकरराम दर्ज है। तहसीलदार ने उक्त नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंषा की है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम छापड़ा के भूमि ख.नं. 372, 498/373 में पेमला पुत्र पोकरराम के बजाय रामेश्वर पुत्र पोकरराम दुरुस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

तहसीलदार सूरजगढ़ उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती की कार्यवाही करें। तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर है

